सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST-15012(MSTL)/4/2021-RU-II Dated: 29/02/2024

सेवा में,

Shri Atanu Bhowmick,
Director in –charge (Addl.)
Bokaro Steel Plant,
Admin Building, Bokaro
District-Bokaro-827001
(Jharkhand)
(Email: bsl.director@sail.in)
(Ph No. 0326-240300)

विषय: बोकारो इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक के द्वारा अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी के साथ जातीय अत्यचार, नौकरी से डिसमिस, मर्डर की धमकी देने तथा डॉ. अंबेडकर साहब को गली गलौच के सम्बन्ध में । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर, श्री अनंत नायक, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 19.02.2024 समय 05:30 बजे आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति (संलग्न) आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का निर्देश हुआ है l

यह अनुरोध है कि आयोग द्वारा की गई अनुसंशाओं पर कार्यवाही रिपोर्ट निर्धारित अवधि के अंदर भेजने का कष्ट करे l

भवदीय,

(एच.आर.मीना / H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Ph No. 011-24641640

प्रतिलिपि:

श्री रामखिलाड़ी मीना,
सैक्टर-4G, Q No. – 1107,
डाकघर कार्यालय – सैक्टर-4
बोकारो स्टील सिटी - 827004 (झारखंड)
(Email ID- rkmbksc04@gmail.com), (Mob No. 9470516901)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice-Chairperson (Acting), NCST
2. NIC (please upload on the Commission's website)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(NCST-15012(MSTL)/4/2021-RU-II)

श्री रामखिलाड़ी मीना, आपरेटर/टेक, कार्मिक विभाग, बोकारो स्टील सिटी, झारखण्ड, बोकारो इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक श्री प्रभाकर व अन्य के द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ जातीय अत्याचार, नौकरी से निलंबित करने के सम्बन्ध में- श्री अनंत नायक, माननीय उपाध्यक्ष (कार्यवाहक), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक **19.02.2024** को **5:30** बजे, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नयी दिल्ली मे आयोग की बैठक के कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 19.02.2024, 5:30 बजे

प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक

इस संदर्भ में आवेदक ने कहा बोकारो इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक श्री प्रभाकर व अन्य के द्वारा अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी के साथ जातीय अत्याचार , नौकरी से डिसमिस , मर्डर की धमकी देने तथा अपमानजनक दुर्व्यवहार किया गया । आवेदक ने यह भी कहा है कि दिनांक 24.06.2021 को उसके साथ मारपीट भी की गई । इस सम्बन्ध में आवेदक ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी |

इस प्रकरण में आयोग ने दिनांक 08.07.2021 को माननीय सदस्य महोदय (Shri Ananta Nayak) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी थी, सिटिंग की संस्तुतियाँ निम्नानुसार है:-

1. श्री रामखिलाड़ी मीना के खिलाफ कि जा रही जांच कार्रवाई में उनको अपना पक्ष रखने के पूरे अवसर दिये जाए।
2. प्रबंधन द्वारा की जा रही जांच प्रक्रिया में आवेदक को सहयोग देने की सलाह दी जाती है |
3. उपरोक्त घटना से सम्बंधित समस्त साक्ष्य जो प्रबंधन तथा आवेदक के पास है उन्हें आयोग के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए |
4. आवेदक अनुसूचित जनजाति से है इसलिए निलंबन की प्रक्रिया में प्रबंधन द्वारा मानवीयता तथा आवेदक के परिवार को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाए ताकि आवेदक के परिवार के सदस्यों का भरण पोषण किया जा सके|

उपरोक्त रिपोर्ट दिनांक 12.10.2021 को Chairman, SAIL को भेजी गयी थी।

श्री रामखिलाड़ी मीना ने अपने पत्र दिनांक 18.01.2024 में बताया है कि सेल बोकारो इस्पात संयत्र प्रबंधन ने असंवैधानिक तरीके से उन्हे नौकरी से बर्खास्त कर दिया है , जिसकी Review Petition दिनांक 06.01.2023 द्वारा Chairman/Reviewing Authority, SAIL, New Delhi के पास प्रस्तुत की गयी है, जिस पर कार्यवाई नहीं हुई है ।

अनन्त नायक

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
कार्यवाहक उपाध्यक्ष/Acting Vice-Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग ने प्रकरण में उठाए गए मुद्दो को हल करने के लिए दिनांक 19.02.2024 को 5:30 बजे प्रभारी निदेशक, बोकारो स्टील प्लांट एव याचिकाकर्ता के साथ बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया जिसकी सूचना अधिकारी एव याचिकाकर्ता को आयोग के पत्र दिनांक 12.02.2024 के द्वारा दी गयी।

प्रभारी निदेशक, बोकारो स्टील प्लांट ने अपने पत्र दिनांक 16.2.2024 के माध्यम से अपनी अनुपस्थिति के लिए कारण बताते हुये प्राथना की कि उन्हे मीटिंग में अनुपस्थिति की स्वीकृति दी जाए तथा संबन्धित अधिकारियों को मीटिंग में उपस्थित होने की आज्ञा दी जाये।

बैठक में बोकारो स्टील प्लांट अधिशाषी निदेशक व उनके सहकर्मी तथा आवेदक उपस्थित हुये। आवेदक ने आरोप लगाया कि बोकारो स्टील प्लांट प्रशासन द्वारा उनका पक्ष नहीं सुना गया और उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मारपीट का मामला, वर्तमान में सत्र न्यायालय, बोकारो के पास विचाराधीन है। बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारियों ने बताया की आयोग की संस्तुतियों पर कार्यवाई रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। आयोग के निर्देशानुसार प्रकरण में Enquiry समिति गठित की गई, जिसमे भी आवेदक ने अधिकारियों / प्राधिकारियों के साथ बदसलूकी की तथा अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके video साक्ष्य उपलब्ध है।

दोनों पक्षो को सुनने के बाद, आयोग ने यह निर्णय लिया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अत: आयोग द्वारा वर्तमान में कार्यवाई करना उचित नहीं होगा। परंतु SAIL प्रशासन द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं की सूचना आयोग को अविलंब उपलब्ध करवाई जाए :-

> आयोग की सिटिंग दिनांक 06.07.2021 में की गयी संस्तुतियों पर, SAIL प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाई की रिपोर्ट (संलग्नको सहित) तथा इसके उपरांत SAIL प्रशासन द्वारा गठित की गई Enquiry समिति की रिपोर्ट (video साक्ष्य भी) आयोग को उपलब्ध कराये।

अनन्त नायक

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
कार्यवाहक उपाध्यक्ष/Acting Vice-Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi